extension of Ceilling on Foreign Commercial borrowings by priority sector

2240. SHRI SURESH KALMADI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to allow priority sectors to exceed ceiling on foreign commercial borrowings;

(b) if so, what are the reasons therefor; and

(c) whether the above relaxation is applicable to all the sectors or to a few sectors and if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR) : (a) to (c) The Government have decided to have an internal cap on External Commercial Borrowings subject to review from time to time. It has decided to accord priority to Sectors in infrastructure in permitting access. However, where external debt is being incurred acompanying foreign equity flows, it has been decided to permit such external debt to the extent of twice the amount of foreign equity. In reviewing the cap with a view to enhancing, the commitments on account of equity related debt will be taken into consideration.

विदेशी ऋणों पर ब्याज

2241. **श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत को विदेशी ऋणों के बदले में ब्याज का भुगतान करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों को ब्याज के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया और उक्त अवधि के दौरान की गई ऋण अदायगी की तुलना में यह राशि कितना प्रतिशत है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां । हमें लिए गए ऋणों पर ब्याज देना पड़ता है ।

(ख) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान विदेशी ऋणों पर अदा की गई ब्याज राशि क्रमश: 3566 करोड़ रुपए, 4062 करोड़ रुपए और 6083 करोड़ रुपए थी। वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान अदा की गई ब्याज राशि मूलधन राशि की वास्तविक वापसी अदायगी का क्रमश: 73 प्रतिशत, 72 प्रतिशत और 79 प्रतिशत थी ।

लघु बचत योजनाओं के अन्तर्गत निक्षेप

2242. **श्री अजीत जोगी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों में यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया, राष्ट्रीयकृत बैंकों, जीवन बीमा निगम में लघु बचत योजनाओं और अन्य योजनाओं के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि जमा की गई; और

(ख) इन निक्षेपों में से उक्त राज्यों की विभिन्न विकास योजनाओं में कितनी राशि का निवेश किया गया;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) यूनिटों की बिक्री से भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा, पालिसियों पर प्रीमियम से भारतीय जीवन-बीमा निगम द्वारा और जमा राशियों से राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान जुटाई गई धनराशि के संबंध में ब्यौरा विवरण 1 में दिया गया है (नीचे देखिये) ।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किए गए निवेशों और दी गई अग्रिम राशियों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा दी गई अग्रिम राशियों के संबंध में विवरण 2 में दिया गया है (नीचे देखिये) । भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा जुटाये गए संसाधनों का निवेश विभिन्न योजनाओं (इन्स्ट्रूमेंटस) जैसे इक्विटी, डिबेंचरों, ऋणों, कम्पनियों में जमा राशियों, सरकारी प्रतिभूतियों एवं मुद्रा बाजार इन्स्ट्रूमेंटों में किया जाता है । इनमें से अधिकांश किसी विशिष्ट राज्य और परियोजना के लिए नहीं होते हैं।